उत्पाद मैनुअल

औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट हेतु

IS 2925: 1984 के अनुसार

इस उत्पाद मैन्युअल का उपयोग सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों और लाइसेंसी द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में किया जाए ताकि विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम -1 (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के अंतर्गत प्रमाणन प्रचालन रीति में सुसंगति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस दस्तावेज का उपयोग बीआईएस प्रमाणीकरण अनुज्ञप्ति / प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक भावी आवेदकों द्वारा भी किया जा सकता है।

1.	**उत्पाद**	:	IS 2925: 1984
	शीर्षक	:	औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट
	संशोधनों की संख्या	:	4
2.	**नमूने लेने हेतु दिशानिर्देश- :**		
क)	**कच्ची सामग्री**	:	सामग्री - IS 2925 के खंड 3 के अनुसार
ख)	**समूहीकरण हेतु दिशा-निर्देश**	:	कृपया अनुलग्नक - क देखें
ग)	**नमूने का साइज**	:	सभी परीक्षणों के लिए 10 नग
3.	**परीक्षण उपस्कर की सूची**	:	कृपया अनुलग्नक - ख देखें
4.	**निरीक्षण एवं परीक्षण की योजना**	:	कृपया अनुलग्नक ग - देखें
5.	**एक दिन में किए जाने वाले संभावित परीक्षण :**		
	(i) साइज (खंड 4) (ii) निर्माण (खंड 5) (iii) कारीगरी एवं परिसज्जा (खंड 6) (iv) द्रव्यमान (खंड 7) (v) प्रघात अवशोषण परीक्षण (खंड 8.1) (vi) भेदन प्रतिरोध (खंड 8.2) (vii) ज्वलनशीलता प्रतिरोध (खंड 8.3) (viii) ताप प्रतिरोध (खंड 8.6)		
6.	**अनुज्ञप्ति का विषय-क्षेत्र :**		
	"अनुज्ञप्ति निम्नलिखित विषय क्षेत्र सहित आईएस IS 2925: 1984 के अनुसार मानक मुहर प्रयुक्त करने के लिए प्रदान की जाती है:		
	उत्पाद का नाम		औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट
	साइज /रेंज		साइज 520/530/540/550/560/570/580/590/600 mm या साइज रेंज (जैसा लागू हो)

भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110002

अनुलग्नक - क
सामूहीकरण दिशा-निर्देश

1. औद्योगिक सुरक्षा हेलमेटों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

   साइज 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 और 600 mm एवं साइज रेंज (जैसा लागू हो)

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी अपेक्षाओं के लिए उस परीक्षित विशिष्ट साइज को समाविष्ट करने के लिए प्रत्येक साइज के औद्योगिक सुरक्षा हेलमेटों का परीक्षण किया जाएगा।

3. साइज समायोजन रेंज के साथ हेलमेट के लिए,परीक्षण की गई उस विशिष्ट साइज रेंज को शामिल करते हुए सभी अन्य परीक्षणों के लिए मध्य साइज और मापन के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी समायोजन रेंज पर विचार किया जाएगा ।

4. फर्म उन साइजों/साइज रेंज की घोषणा करेंगा जिन्हें वह अनुज्ञप्ति में शामिल करना चाहते हैं।

5. निर्माता की निर्माण और परीक्षण क्षमताओं के आधार पर अनुज्ञप्ति का दायरा सीमित किया जा सकता हैं।

6. अनुज्ञप्ति प्रचालन के दौरान, शाखा कार्यालय सुनिश्चित करे कि अनुज्ञप्ति में शामिल किए गए सभी प्रकार व साइज़ का परीक्षण आवर्तन में किया गया हो।

अनुलग्नक- ख

परीक्षण उपस्कर की सूची

भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण के लिए आवश्यक प्रमुख परीक्षण उपस्कर

क्रम संख्या	खंड संदर्भ के साथ प्रयोग में आने वाले परीक्षण	परीक्षण उपस्कर
1.	धातु पुर्जों का संक्षारण (खंड 3.3)	छिड़काव व्यवस्था, लवन विलयन एयर कंडीशनर
2.	साइज (खंड 4)	हेड फॉर्म अथवा निश्चित वलय मापक / विस्तारशील मापक
3.	निर्माण (खंड 5)	वर्नियर कैलिपर इस्पात फुट्टा प्लग मापक बाह्य माइक्रोमीटर एस हुक एवं 10 kg भार 2.25 kg द्रव्यमान
4.	द्रव्यमान (खंड 7)	तराजू
5.	प्रघात अवशोषण परीक्षण (खंड 8.1)	स्ट्राइकर भार 3 kg स्ट्राइकिंग फेस : 180 X 180 mm बल/भार कवच मापने के लिए उपस्कर सिलिन्डर के आकार के मापक काँच का तापमापी मापक एवं हेड फॉर्म मापक और हेड फोर्म डीप फ्रीजर के अवलंबन हेतु कंक्रीट ब्लॉक
6.	भेदन प्रतिरोध (खडं 8.2)	भेदन प्रतिरोध परीक्षण हेतु व्यवस्था 500 g द्रव्यमान और 36 ° कोण सहित पल्म बोब मापन टेप माइक्रोमीटर
7.	ज्वलनशीलता प्रतिरोध (खडं 8.3)	ज्वलनशीलता प्रतिरोध परीक्षण हेतु व्यवस्था 0.71 mm व्यास वाले तांबे की तार बर्नर स्टॉप वॉच
8.	विद्युत प्रतिरोध (खडं 8.4)	विद्युत प्रतिरोध परीक्षण हेतु प्रबंध वोल्टमीटर मिली एम्प मीटर एयर कंडीशनर ताप नियंत्रण सहित जल कुंडी
9	जल अवशोषण (खडं 8.5)	तराजू तापमान नियंत्रण वाली जल कुंडी एयर कंडीशनर
10	ताप प्रतिरोध परीक्षण (खंड 8.6)	तप्त वायु ओवन

उपरोक्त सूची केवल सांकेतिक है और इसे संपूर्ण न माना जाए।

अनुलग्नक - घ
निरीक्षण और परीक्षण स्कीम

1. **प्रयोगशाला** - प्रयोगशाला का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाए कि जिसमें उपयुक्त उपकरण (तालिका 1 के कॉलम 2 में दी गई अपेक्षा के अनुसार) और दक्ष कर्मचारी तैनात हों, जहाँ विशिष्टि में दी गई पद्धतियों के अनुसार विशिष्टि में उल्लिखित विभिन्न परीक्षण किए जाएं।

1.1 निर्माता परीक्षण उपस्कर हेतु एक अंशशोधन योजना तैयार करेगा।

2. परीक्षण रिकॉर्ड - अनुरूपता स्थापित के लिए निर्माता किए गए परीक्षणों का रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा।

3. लेबल लगाना और चिन्हांकन – IS 2925: 1984 की अपेक्षाओं के अनुसार।

4. नियंत्रण इकाई – एक ही सामग्री से एक दिन में निर्मित समान साइज/ साइज रेंज के सभी हेलमेट एक नियंत्रण इकाई स्थापित करेंगे।

5. नियंत्रण के स्तर - तालिका **1** के कॉलम **1** में उल्लिखित परीक्षण और तालिका **1** के कॉलम **3** में नियंत्रण स्तर कारखाने के उस संपूर्ण उत्पादन पर किए जाएं जो इस योजना में शामिल हैं और उपर्युक्त खंड **2** के अनुसार उचित रिकॉर्ड रखा जाए।

5.1 सभी उत्पादन जो भारतीय मानकों के अनुरूप हैं और अनुज्ञप्ति में शामिल किए गए हैं, उन्हें मानक मुहर से मुहरांकित किया जाए।

6. अस्वीकरण - गैर-अनुरुपता वाले उत्पाद का निपटान इस प्रकार किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि बीआईएस अधिनियम, **2016** के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

तालिका 1

(1)				(2)	(3)		
परीक्षण विवरण				**अनुमत परीक्षण उपस्कर अपेक्षा** अ: अपेक्षा (या) :उप अनुबंधित	**नियंत्रण के स्तर**		
खण्ड	अपेक्षाएं	**परीक्षण पद्धतियाँ**			नमूनों की संख्या	आवृति	टिप्पणियाँ
		खंड	संदर्भ				
3.1	कवच	3.1	IS 2925	अ	सभी	-	-
3.2	हार्नेस	3.2	IS 2925	-	सभी	-	-
3.3	धातु के भाग	3.3 एवं अनुलग्नक -ख	IS 2925	अ	1	प्रत्येक खेप	-
4	साइज	4	IS 2925	अ	5	प्रत्येक नियंत्रण इकाई	-
5	निर्माण	5.1 से 5.5	IS 2925	अ	5	प्रत्येक नियंत्रण इकाई	-
6	कारीगरी एवं परिसज्जा	6.1	IS 2925	-	सभी	-	-
7	द्रव्यमान	7.1	IS 2925	अ	5	प्रत्येक नियंत्रण इकाई	-
8.1	प्रघात अवशोषण प्रतिरोध	8.1 एवं अनुलग्नक – ड	IS 2925	अ	3	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	#
8.2	भेदन प्रतिरोध	8.2 एवं अनुलग्नक - च	IS 2925	अ	1	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	
8.3	ज्वलनशीलता प्रतिरोध	8.3 एवं अनुलग्नक - छ	IS 2925	अ	1	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	
8.4	विद्युत प्रतिरोध	8.4 एवं अनुलग्नक - ज	IS 2925	अ	1	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	
8.5	जल अवशोषण	8.5 एवं अनुलग्नक – झ	IS 2925	अ	1	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	
8.6	ताप प्रतिरोध	8.6 एवं अनुलग्नक- ट	IS 2925	अ	1	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	

किसी भी नमूने के असफल होने के मामले में, समान लॉट से दो गुना संख्या में नमूनो का परीक्षण किया जाएगा। लॉट को तभी स्वीकार किया जाएगा जब पुन: परीक्षित नमूने पास होंगे।

नोट -1 : ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या ब्यूरो द्वारा सूचीबद्ध सरकारी प्रयोगशालाओं के लिए उप-संविदा की अनुमति है।

नोट-2: कॉलम 3 में दिए गए नियंत्रण के स्तर अनिवार्य प्रकृति के हैं जिनका अनुपालन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जाएगा।

नोटविवेचन में अतंर की स्थिति में/इस उत्पाद मैनुअल के हिंदी पाठ की व्याख्या :, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।